



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 13/2011 अंतर्गत धारा-75 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2011/00033)


अनवान:

1. मोहम्मद शाह वल्द फकीर शाह जाति मुसलमान निवासी
जामसर तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित।
अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई।
बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत
उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की
तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती
है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की
जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं
अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली
सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को सुनाया
गया।


(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

28-5-2024